न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—1 / 2025 / 223 आर.टी.एक्ट (2025 / 1)

1. पन्नालाल पुत्र हरदेव जाति गुर्जर निवासी ग्राम रामसर
2. सुरज देवी पत्नी रामनारायण
3. भंवरलाल पुत्र उमराव
4. श्रीकिशन पुत्र उमराव
5. सीता पुत्र उमराव समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मावशिया, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलांट्स

बनाम

1. शुभकरण पुत्र हरजीराम जाति जाट, निवासी ग्राम मावशिया तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर। हाल निवास बालूपुरा रोड आदर्श नगर अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 राजस्व वाद संख्या 144 / 2022.

उपस्थितः—

1. श्री हीरालाल माली अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अजीतसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—05.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 144 / 2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक राजस्व वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध अपीलांट्स उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी / अपीलार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी / अपीलार्थीगण संख्या 1 के वारिस बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे प्रतिवादी / अपीलार्थीगण संख्या 2 व 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया की मौके पर सभी पक्ष अपनी अपनी जगह काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 16.10.2024 को निर्णय पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 144 / 2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवान की एक अपील न्यायालय में ठोस दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की गई है जिसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेंट/वादी द्वारा मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने तथा अन्य परिवारजनों के पुश्तैनी भाई बंटवारे में आने के कारण बंटवारा कराने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 16.10.2024 है तथा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ व्यक्ति है जिससे नियमानुसार समयावधि में अपील पेश करने में देरी हुई है। उक्त प्रार्थना पत्र समयावधि में मानने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963–धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के पश्चात विधिवत रूप से अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को पक्षकार बनाने के बाद नियमानुसार जवाब का उचित अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 4 से 5 के जवाब के पश्चात विधिवत रूप से साक्ष्य का अवसर नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष रेस्पोडेंट ने प्रस्तुत वाद पत्र में यह कथन किया कि उपरोक्त आराजीयात पर 1/2 हिस्सा निहित है जबकि मौके पर अन्य भाईयों का हक अधिकार है तथा उक्त जमीन भाई बंटवारे में रेस्पोडेंट को अन्य जगह दे रखी है उसका भी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा रेस्पोडेंट का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलार्थीगण मौके पर जिस भूमि पर काबिज काश्त है उस भूमि पर विधिवत रूप से बंटवारा

नहीं किया जाकर रेस्पोडेंट के प्रभाव में आकर अन्य जगह बंटवारा कराने पर आमादा है तथा येन केन प्रकरण अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की जमीन कहा पर है विधिवत जांच किया जाना आवश्यक है, जिसे न ही समझ कर पारित किया गया। कोई भी आदेश या निर्णय पारित करने से पूर्व मौके एवं राजस्व रिकार्ड की वास्तविक स्थिति की विधिवत जांच किया जाना नितांत आवश्यक है जिससे सभी पक्षों को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके वादग्रस्त आराजी की यदि जांच की जाती है तो यह स्थिति स्पष्ट थी कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स वर्षों से काबिज चले आ रहे है। एक मात्र रेस्पोडेंटस के कथनों पर विश्वास कर निर्णय पारित करने में तहत न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। जो अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 144/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि ग्राम रामसर के खाता संख्या 1621/2320 किता 15 रकबा 6.16 की आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा है तथा शेष आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का हिस्सा निहित है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सह खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नहीं हुआ है प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट संख्या 1 व 2/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किए जाने के आदेश दिनांक 16.10.2024 को पारित किए गए। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध जिला अजमेर तहसील नसीराबाद पटवार हल्का रामसर द्वितीय की जमाबंदी संवत 2069–2072 (वर्ष 2019) के अनुसार खाता संख्या 1621 कुल किता 15 कुल रकबा 6.1600 है0 अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस की सहखातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कथन किया गया कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के पश्चात विधिवत रूप से अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को पक्षकार बनाने के बाद नियमानुसार जवाब का उचित अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 4 से 5 के जवाब के पश्चात विधिवत रूप से साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया तथा मौके कुर्रेजात के समय सूचित नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर विधिवत रूप से नोटिस तामील कराए गए तथा बाद तामील उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से जवाब साक्ष्य बंद किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दिनांक 04.11.2024 व दिनांक 28.11.2024 को जरिए नोटिस उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कुर्रेजात के समय सूचना प्रेषित की गई थी। इन

सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय पर अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आक्षेप निराधार हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। जिसके अनुसार विवादित आराजी मुतनाजा का विभाजन किए जाने से अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंटस के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। चूंकि आराजी मुतनाजा सहखातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है। अतः उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अपीलांट के पास मौका कुर्रेजात के समय आपत्ति करने का अवसर उपलब्ध है। वादी/रेस्पोडेंट्स विभाजन प्राप्ति के अधिकारी है। *अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम रामसर के खाता संख्या 1621/2320 किता 15 रकबा 6.16 है0 की आराजी पर वादी/रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार किया जाकर, तहसीलदार नसीराबाद को निर्देशित किया कि आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार करे।* प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 विधि सम्मत है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 144/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर